33RD ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE) THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH) NATIONAL EDITION on 14.07.2022



FIEM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: D-5, Mansarover Garden, New Delhi-110015 (INDIA)
Tel: +91-11-25101002/03/04/05 E-Mail: investor@fiemindustries.com
Website: www.fiemindustries.com CIN: L36999DL1989PLC034928

Re: 33RD ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE)

- 1. NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries Limited ("the Company") will be held on Wednesday, August 24, 2022 at 10:30 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").
- 2. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2022 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("DP"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and casting of votes through remote electronic voting or through the e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 33rd AGM will be available on the website of the Company at www.fiemindustries.com on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Further, those shareholders who hold shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/RTA or DP, are requested to download the AGM Notice, once available on above mentioned websites and follow detailed instructions mentioned therein about joining & participating in AGM, manner of casting vote through remote e-voting or casting vote through e-voting system during the AGM.
- 3. Manner of registering / updating email addresses & mobile No. and Bank mandate for receiving Dividend:

The shareholders, who have not registered their email address & mobile with the Company/RTA/Depositories and/or not updated the Bank Account mandate for receiving the dividend directly in their Bank Account through Electronic Clearing Service (ECS), are requested to register / update the above details immediately, in the following manner:

- (I) Registering / updating the details with DP: In case the Shares held in demat mode, it is strongly recommended to such shareholder to register / update the email address, mobile no. and bank account details in his / her demat account as per process advised by the DP.
- (ii) Registering / updating the details with RTA: In case the shares held in physical mode, the shareholder need to visit to website of our RTA, Link Intime India Private Ltd. at the link https://linkintime.co.in/EmailReg/Email-Register.html and then select Fiem Industries Limited from dropdown list of Companies and fill in the details asked there in, and upload the required documents and submit. Though, shareholders holding shares in Demat mode can register / update his/her details to RTA, however, it is better for such shareholder to register / update these details with their DP only.

In the event, Company is unable to pay the dividend to any member through electronic mode, due to incomplete Bank account details of the member, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Bankers' cheque/ demand draft to such Member, at the earliest possible through permissible modes.

- 4. Manner of casting vote(s) through remote e-voting or through e-voting during the AGM:
 - (i) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").
 - (iii) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode or physical mode, who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM.
 - (iii) The facility for voting through e-voting system will also be made available during AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote during the AGM to be held through VC/OAVM.
 - (iv) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / RTA/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of AGM.
 - (v) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. August 17, 2022.

5. TDS on Dividend:

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend payable to the Members (if applicable for that member) as per Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"). Therefore, Members are requested to complete/update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants or in case shares are held in physical form, with RTA. Further, to submit the applicable Form 15G/15H/10F under the IT Act and other applicable documents, members can visit the website of our RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. at the link https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM

Date: 14/07/2022 For Fiem Industries Ltd.
Sd/Place: Rai, Haryana Arvind K. Chauhan
Company Secretary

33RD ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE) THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH) NATIONAL EDITION on 14.07.2022



फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

IGH | UP THE WOHLD पंजीकृत कार्यालय : डी—5, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली—110015 (भारत)

फोन : +91-11-25101002/03/04/05, ई-मेल : investor@fiemindustries.com वेबसाइट : www.fiemindustries.com सीआईएन : L36999DL1989PLC034928

33वीं वार्षिक सामान्य बैठक (पूर्व सूचना)

- 1. एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुतर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 और 02/2022, क्रमानुसार दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2022, 3 जानवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, और 05 मई, 2022 क्रमानुसार, ("एमसीए सर्कुलर्स") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79, सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 और सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62, विनांकित 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 क्रमानुसार, ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में, फीयम इंस्स्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), बुधवार, 24 अगस्त, 2022 को पूर्वा. 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन ("वीसि")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित की जाएगी।
- 2. एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय विवरण शामिल है (वार्षिक रिपोर्ट), केवल ई-मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को सेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅट्स ('डीपों') के पास पंजीबद्ध है। सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से जुड़ और भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेन ते तथा रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनयम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के लिए की जाएगी। 33वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। आगे, उन शेयरघारकों, जो भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं अथवा जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी/आरटीए अथवा डीपों के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट्स पर उपलब्ध एजीएम की सूचना डाउनलोड करें तथा उसमें एजीएम के सुरान इंन्वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि के संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन करें।
- 3. ई—मेल पता, बैंक विवरण तथा मोबाइल नंबर और लामांश प्राप्त करने हेतू बैंक आदेश पंजीकरण / अद्यतनीकरण की विधि :

जिन शेयरधारकों द्वारा अपना ई–मेल पता एवं मोबाइल नंबर कम्पनी/आस्टीए/डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है तथा/अथवा लाभांश राशि इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने हेतु बैंक खाता आदेश अद्यतित नहीं करवाया गया है, उनसे उपरोक्त विवरण अतिशीघ्र निम्नलिखित विधि में पंजीकृत/अद्यतित करवाने का अनुरोध किया जाता है :

- (i) **डीपी के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण** : यदि शेयर डीमैंट रूप में धारित हैं, ऐसे शेयरधारकों को दृढ़तापूर्व सलाह दी जाती है कि वे अपना ई—मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैंट खाते में, डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत /अद्यतित करवा लें I
- (ii) आरटीए के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण: यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, शेयरधारक को हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html पर जाना होगा और फिर कम्पनियों की सूत्री से फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिलेक्ट करना होगा तथा उसमें मांगा गया विवरण भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड और सबमिट करने होंगे। यद्यपि, डीमेट रूप में शेयरों के धारक शेयरधारक अपना विवरण आरटीए के पास पंजीकृत/अद्यति करवा सकते हैं, तथापि, ऐसे शेयरधारक के लिए अपना विवरण केवल डीपी के पास पंजीकृत/अद्यतित करवाना बेहतर होगा।

यदि कम्पनी किसी सदस्य को लाभांश का भुगतान सदस्य का बैंक खाता अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से करने में असमर्थ रहती है, तो कम्पनी ऐसे सदस्य को लाभांश वारंट / बैंकर्स चैक / डिमांड डाफट, यथासंभव शीघ्र, अनमत्य विधियों से प्रेषित करेगी।

- 4. रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि :
 - (i) सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई—वोटिंग") के माध्यम से डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
 - (ii) अभौतिक रूप, भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोटली वोटिंग ("रिमोट ई—वोटिंग") की विधि एजीएम की सूचना में दी जाएगी।
 - (iii) ई—वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित जिन सदस्य द्वारा रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, वे वीसी∕ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम के दौरान वोट डाल सकेंगे।
 - (iv) सदस्यों को ई—वोटिंग सिस्टम से वोट डालने के लिए लॉगइन प्रत्ययपत्र ई—मेल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सदस्यगण, जिनको ई—मेल प्राप्त नहीं होती है अथवा उनका ई—मेल पता कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में दिए अनुदेशों का पालन कर लॉगइन प्रत्ययपत्र बना सकते हैं।
 - (v) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कट—ऑफ तिथि अर्थात 17 अगस्त, 2022 को उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

लामाश पर टीडीएस :

विक्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, 01 अप्रैल, 2020 की प्रभावी तिथि से शेयरधारक के हाथों में लाभांश आय कर योग्य होगी तथा कम्पनी द्वारा सदस्यों को देय लाभांश से आयकर अधिनियम, 1981 (आईटी ऐक्ट) में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती की जानी ("टीडीएस") अपेक्षित है (यदि उस सदस्य के लिए लागू है)। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी निवास रिथति, पैन, आईटी ऐक्ट के अनुसार संवर्ग का विवरण अपने हिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास अथवा शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो आरटीए के पास पूर्ण तथा, अथवा अधित करवा लें। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनयम के अधीन लागू प्रपन्न 15जी/16एव/10एफ तथा अन्य लागू दस्तावेज जमा करने के लिए, सदस्यगण हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html देखें।

र विकास के अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में भाग लेने, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान वोट डालने की विधि संबंधी अनुदेश सावधानी के साथ पढ़ लें।

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./– विन्द के चौहान

तिथि : 14 जुलाई, 2022 अरविन्द के. चौहान स्थान : राई, हरियाणा कम्पनी सचिव